उनके नामों के आगे "हिन्दु" या "मुसलमान' शब्द तथा स्थिति, लिखे जायें ;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रिजर्वेशन फार बैकवर्ड मुस्लिम अरजंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालू) : (क) इस संबंध में इंडियन नेशनल लीग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार को, मुसलमानों के पक्ष में आरक्षण की मांग करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करते उभय नाम के आगे "हिन्दु" या "मुस्लिम" शब्द, जैसी भी स्थिति हो, लिखे जायें।

(ङ) जी, हां।

(च) संविधान के अनुच्छेद 16(4) में सरकार को, पिछड़े वर्ग के उन नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनका राज्य के मतानुसार राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वे अल्पसंख्यक वर्ग जो अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची में शामिल हैं, केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम

7298. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उनके विकास के लिए कोई समग्र-बद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" में हो, तो उन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालू) : (क) तथा (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या :

कुल	41,309,582
ग्रामीण	27,063,521
बाहरी	14,246,061

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या :

कुल	3,060,358	(7.41%)
ग्रामीण	1,899,394	(07.02%)
बाहरी	1,160,964	(8.15%)

1991 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या :

कुल	6,161,775	(14.92%)
ग्रामीण	5,663,178	(20.92%)
बाहरी	498,597	(3.50%)

जहां तक 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का संबंध है, पृथक अनुमान न तो योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञों की स्थायी समिति द्वारा लगाए गए हैं और न ही भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा अतः 31-1-1994 को स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के विकास के लिए गुजरात की राज्य सरकार को प्रदान की गई निधियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	के दौरान प्रदान की गई निधियां		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	291.27	310.87	357.95
2.	अस्वच्छ पेशों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	25.47	14.38	14.57
3.	पुस्तक बैंक	1.50	0.30	0.05
4.	लड़कियों के छात्रवास	11.88	—	15.05
5.	लड़कों के छात्रावास	60.66	—	39.50
6.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	4.38	3.05	5.53
7.	सफाई कर्मचारियों की विमुक्ति	250.00	186.00	200.00
8.	अनुसूचित जाति विकास निगम	56.69	100.07	96.87
9.	विशेष केंद्रीय सहायता	666.64	908.53	796.82
10.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कार्यान्वयन	33.21	78.33	92.74

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए गुजरात की राज्य सरकार को प्रदान की गई निधियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास	30.13	18.21	19.51
2	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास	17.16	23.00	39.23
3.	आश्रम विद्यालय	—	25.00	—
4.	शैक्षणिक परिसर	—	—	25.33
5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	—	26.10	3.46
6.	विशेष केंद्रीय सहायता (एस.टी.ए)	1870.90	1855.84	2234.87
7.	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	180.12	356.40	660.25
8	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	2.25	2.19	0.55
9.	स्वैच्छिक संगठन	0.48	2.77	4.33

Steps to reduce consumption of alcoholic beverages

7299. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to initiate steps to reduce the consumption of alcoholic beverages and also for total prohibition in the country;

(b) if so, whether the Central Prohibition Committee has made several recommendations for total prohibition;

(c) the details of the recommendations made by the Committee;

(d) whether Government propose to direct State Governments to implement prohibition; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) to (e) The Central Prohibition and Drug Abuse Prevention Committee has not made any recommendations for total prohibition. Prohibition being a State subject, it is for the State Governments to introduce prohibition. Government of India has, however, issued a Minimum Programme for Prohibition in 1975 and guidelines for Implementation of Prohibition in 1978 (copies attached). In addition, awareness programme to educate the public against evils of alcoholism has also been launched.

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROHIBITION
(1975)

Immediate steps

(i) Introduction of dry days:

(a) Starting with two days in a week in 1978, the number off dry